यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा के माह 05/2015 से 09/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 04.10.2018 से 10.10.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रदीप कुमार मौर्या एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 05.05.2015 से 15.05.2015 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 08/2012 से 04/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 09/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं तथा स्वीकृति के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र तीन विकास खण्डों क्रमशः ताडीखेत, ताकुला एवं हवालबाग हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गो का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	42.46	–	1136.31	926.08	107.62	99.01	–	252.69	–	8.61
2016–17	23.69	–	1521.39	1275.27	110.95	103.56	–	269.81	–	7.39
2017–18	–	–	4591.95	2841.59	99.93	98.63	–	1750.36	–	1.30
2018–19 (9/18)	–	–	1996.50	856.48	71.63	56.88	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0, बैक खाते एवं कोषागार को वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	1105.60	887.48	–	218.12
2016–17		–	1325.19	1180.57	–	144.62
2017–18		–	4157.42	2664.53	–	1492.89
2018–19 (9/18)		–	1992.00	856.48	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत	

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन योजना हेतु अथोराईजेशन के रुप में तथा राज्य मद के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है तथा गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''ब'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास
⇓
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
⇓
मुख्य अभियंता, यू0आर0आर0डी0ए0
⇓
मुख्य अभियंता (कुँमाऊ)
⇓
अधीक्षण अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, अल्मोडा
⇓
अधिशासी अभियंता
⇓
सहायक अभियंता (04)
⇓
कनिष्ठ अभियंता (04)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 10 निर्माण कार्यों (पूर्ण–07 एवं प्रगतिरत–03) को विस्तृत विश्लेषण जॉच हेतु चयन किया गया। प्रतिचयन माह 09/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में जून 2018 तक का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्ववार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
5. फार्म 51 माह 09/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष शून्य है।
6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 09/2018 के अन्त में : शून्य
7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध नहीं रहे।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत जियोमैट्रिक डिजाईन में कैरेज–वे की चौडाई अधिक किए जाने से रु0 26.21 लाख का परिहार्य व्यय।

आई0आर0सी0 एस0पी0–20–2002 के प्रस्तर 2.6 एवं संचालन मैनुअल के पैरा 5.2 के अनुसार यदि किसी लिंक (dead end) मोटर मार्ग में प्रति दिन 100 से अधिक यातायात वाहन हो तो यातायात (carriage way) हेतु सड़क की चौडाई 3.75 मी0 तथा 100 से कम होने पर चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बमस्यू से खुशियालकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु फेस–XII में रु0 182.99 लाख (निर्माण : रु0 162.19 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 20.80 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 3378/पी–26/यू0आर0आर0डी0ए0/14 दिनॉक 05.03.2014 के माध्यम से 4.17 किमी0 लम्बाई हेतु प्रदान की गई। अधीक्षण अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, अल्मोडा द्वारा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति 4.17 किमी0 लम्बाई हेतु प्रदान की गई (16.07.2014)। मोटर मार्ग निर्माण हेतु रु0 173.50 लाख (निर्माण : रु0 152.89 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 20.61 लाख) हेतु अनुबन्ध संख्या 03/एस0ई0–पी0एम0जी0एस0वाई0/14 दिनॉक 19.07.2014 गठित किया गया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथियॉ क्रमशः 19.07.2014 एवं 18.07.2015 निर्धारित थी, परन्तु कार्य वास्तविक रुप से रु0 150.46 लाख व्यय के साथ 31.10.2015 में पूर्ण किया गया।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा के निर्माण कार्यो के लेखा–अभिलेखों की विस्तृत जॉच में पाया गया कि लिंक मार्ग बमस्यू से खुशियालकोट मोटर मार्ग में प्रति दिन यातायात हेतु ए0ए0डी0टी0 की संख्या 27 तथा सी0वी0पी0डी0 11 एवं अन्तिम बसावट के छोर (dead end) तक ही मोटर मार्ग होने के बावजूद भी सड़क की चौडाई 3.75 मी0 प्रावधानित एवं सम्पादित की गई, जबकि विशिष्टियों के अनुसार लिंक मार्ग में प्रति दिन 100 से कम मोटर वाहनों का यातायात घनत्व तथा dead end होने पर सड़क की चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा दल द्वारा मार्ग के भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग रानीखेत–खैरना मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर अन्तिम बसावट खुशियालकोट जनसंख्या 676 में 4.27 किमी0 तक निर्मित किया गया था जैसा फोटोग्राफ से ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार, निर्धारित

Dead end point of the road

मानकों से अधिक 0.75 मी0 चौडाई में ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 एवं बिटुमिन (पी0सी0) कार्य किए जाने पर रु0 26.21 लाख का परिहार्य व्यय किया गया। अधिक चौडाई में किए गये कार्य पर परिहार्य व्यय का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मद का नाम	मार्ग की लम्बाई (मी0)	विशिष्टियों के अनुसार सडक की चौडाई (मी0)	सम्पादित सडक की चौडाई (मी0)	अधिक चौडाई	मात्रा	अतिरिक्त कर्व (10%)	पासिंग स्थल	कुल मात्रा	अनुबन्धित /देयक दर	राशि
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**		**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
1.	जी0 1	4270.00	3.00	3.75	0.75	400.31[1]	40.03	मार्ग में पासिंग स्थल का प्रावधान नहीं था।	440.34	1632.00	718634.88
	जी0 2	4270.00	3.00	3.75	0.75	240.19[2]	23.68		263.87	1710.00	451217.70
2.	जी0 3	4270.00	3.00	3.75	0.75	240.19[3]	24.02		264.21	1650.00	435946.50
3.	प्राईम कोट	4255.00	3.00	3.75	0.75	3191.25[4]	319.13		3510.38	41.50	145680.77
4.	टैक कोट	4255.00	3.00	3.75	0.75	3191.25	319.13		3510.38	14.90	52304.66
5.	प्रीमिक्स कारपेट	4255.00	3.00	3.75	0.75	3191.25	319.13		3510.38	154.50	542353.71
6.	सील कोट	4255.00	3.00	3.75	0.75	3191.25	319.13		3510.38	78.20	274511.72
	योगः–										**2620649.94**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में आगे की बसावटों के संयोजन की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कैरेज–वे की चौडाई 3.75 मी0 रखी गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मोटर मार्ग में कैरेज–वे की चौडाई मार्ग में प्रति दिन यातायात घनत्व एवं उसके अन्तिम बसावट (dead end) या थ्रू–रुट होने के आधार पर निर्धारित होता है। प्रश्नगत मार्ग में यातायात घनत्व अर्थात ए0ए0डी0टी0 मात्र 27/ सी0वी0पी0डी0 11 होने तथा मार्ग के अन्तिम छोर की बसावट होने पर मार्ग की चौडाई मात्र 3.00 मी0 ही होनी चाहिए थी। मात्र भविष्य की सम्भावना के आधार पर मार्ग की चौडाई निर्धारित नहीं की जा सकती वल्कि उसके आगे मानकों के अनुसार बसावट भी होनी चाहिए, जिसे संयोजन किया जा सकता है। निरीक्षण जॉच में भी संयोजित बसावट के आगे कोई अन्य असंयोजित बसावट नहीं देखी गयी।

अतः आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत जियोमैट्रिक डिजाईन में कैरेज–वे की चौडाई अधिक किए जाने से रु0 26.21 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

[1] **G1** = Length x width x height i.e. 4270m x 0.75m x 0.125m = 400.31 cum.
[2] **G2** = Length x width x height i.e. 4270m x 0.75m x 0.075m = 240.19 cum.
[3] **G3** = Length x width x height i.e. 4270m x 0.75m x 0.075m = 240.19 cum.
[4] **PC** (Primer coat, Tack coat, Premix Carpet & Seal coat) : 4255m x 0.75m = 3191.25 sqm.

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2: निर्देशिका के विपरीत रु0 22.25 लाख का अनियमित व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की निर्देशिका 9.3 के अनुसार मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लीड चार्जेज अनुमत्य नहीं है।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा 03 मोटर मार्गों में मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लीड चार्जेज का प्रावधान किया गया एवं अन्तिम देयकों के अनुसार उक्त कार्यो पर रु0 9.91 लाख का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त स्लिप क्लीयरेंस पर रु0 12.34 लाख का व्यय किया गया, जबकि स्लिप क्लीयरेंस स्टेज–।। के कार्य में Excavation for Structures में पूर्व से सम्मिलित था। जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा लीड चार्जेज एवं स्लिप क्लीयरेंस को अतिरिक्त मद के अन्तर्गत किया गया तथा समस्त व्यय धनराशि को योजना के अन्तर्गत प्रोग्राम निधि से ही व्यय किया गया। यदि इन कार्यों को अतिरिक्त मद के रुप में व्यय किए जाने की आवश्यकता भी थी तो इस पर हुए व्यय को प्रोग्राम निधि में भारित न कर राज्य मद पर भारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, लीड चार्जेज एवं स्लिप क्लीयरेंस पर प्रोग्राम निधि से किए गये व्यय रु0 22.25 लाख का विवरण निम्नवत् हैः–

मोटर मार्ग का नाम	Lead			Slip clearance			महायोग
	सम्पादित मात्रा (Cum)	दर	व्यय	सम्पादित मात्रा (Cum)	दर	व्यय	
भुजान–चापड से हिडाम	21540.60	46.00	990867.60	13885.58	68.80	955327.90	1946195.50
एम0डी0आर0 14 किमी0 4 से पाली नदोली	–	–	–	492.00	68.80	33849.60	33849.60
पपरसैली से बल्टा	–	–	–	3825.39	64.00	244824.96	244824.96
योग :–			**990867.60**			**1234002.46**	**2224870.06**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य के दौरान एस0आर0एम0डी0 से धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रोग्राम निधि से उक्त कार्य किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि एस0आर0एम0डी0 से धनराशि प्राप्त नहीं भी हुई तो इसका व्यय प्रोग्राम निधि से न कर राज्य मद से किया जाना चाहिए था क्योंकि योजना के अन्तर्गत प्रोग्राम निधि से उक्त व्यय अनुमन्य नहीं है।

अतः निर्देशिका के विपरीत रु0 22.25 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को रु0 22.99 लाख का अदेय लाभ।

अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, ब्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से

(i) अनुबन्धित धनराशि का 0.40 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, (ii) अनुबन्धित धनराशि का 0.40 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (iii) अनुबन्धित धनराशि का 0.40 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा के चयनित कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही खण्ड कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के अनुरुप 1.20 प्रतिशत की धनराशि उनके चालू एवं अन्तिम देयकों से कटौती की गई। अतः लेखापरीक्षा जॉच हेतु चयनित पूर्ण 04 कार्यों की अनुबन्धित धनराशि रु0 1916.05 लाख के सापेक्ष 1.20 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि रु0 22.99 लाख की कटौती नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	निर्माण की स्वीकृत राशि	अनुबन्धित राशि	बीमा कटौती योग्य राशि
1.	अल्मियाकोट से दिहोली	1116.61	1048.88	1258656.00
2.	एम0डी0आर0 14 किमी0 4 से पाली नदोली	104.15	104.07	124884.00
3.	पपरसैली से बल्टा	223.89	197.68	237216.00
4.	बसौली–पोखरी से नाईडोल	663.68	565.42	678504.00
	योगः–	**2108.33**	**1916.05**	**2299260.00**

इस प्रकार, रु0 22.99 लाख की कटौती न किए जाने से न केवल ठेकेदार को वित्तीय लाभ पहॅुचाया गया अपितु मोटर मार्गों में उस हद तक काम के अलावा नुकसान का जोखिम बना रहा जब तक मोटर मार्ग के अनुबन्धों का अन्तिमीकरण न किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने आपत्ति स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि पहाडी क्षेत्र में कोई भी एजेन्ट पॉलिसी हेतु तैयार न होने के कारण बीमा पॉलिसी नहीं की गई। इस हेतु उच्चाधिकारियों से निर्देश मॉगे गये हैं, जो अपेक्षित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बीमा पॉलिसी उपलब्ध न कराए जाने पर देयकों से 1.20 प्रतिशत की धनराशि की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को रु0 22.99 लाख के अदेय लाभ पहॅुचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग–II 'अ'** प्रस्तर संख्या	**भाग–II 'ब'** प्रस्तर संख्या
136/2015–16	1	–

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
136/2015–16	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) अधिष्ठान मद के व्यय वाउचर रु0 414955.00।

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	ई0 अरुण कुमार	अधिशासी अभियंता	05.10.2013 से 24.06.2015
2.	ई0 विष्णु राम टम्टा		25.06.2015 से 10.07.2015
5.	ई0 के0सी0 आर्या		11.07.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0 जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र